

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 22 / 13 क्लेम

संस्थिति दिनांक 16.09.2013

- 1- श्रीमती मंजेश आयु 40 साल वेवा पत्नी
राजाबाबूसिंह
- 2- रागिनी आयु 18 साल पुत्री स्व० श्री राजाबाबू
सिंह
- 3- राघव आयु 15 साल
- 4- अंकित आयु 08 साल, नावालिग पुत्रगण स्व० श्री
राजाबाबू सिंह नावालिग सर्पस्त श्रीमती मंजेश
वेवा पत्नि मां खुद नि० ग्राम टिकुरी थाना रेडर,
तहसील माधोगढ जिला जालोन उ०प्र०

-----आवेदकगण

बनाम

- 1- रामराज गुर्जर आयु 29 साल पुत्र नवलसिंह
गुर्जर निवासी न्यू सकुंतलापुरी जिला ग्वालियर
म०प्र०
- 2- गनेश रावत आयु 33 साल पुत्र ठकुरी रावत
निवासी ग्राम थरा, तहसील जौरा जिला मुरेना
म०प्र० -----मालिक
- 3- क्षेत्रीय प्रबंधक:-इफको टोकियो जनरलइं श्योरेंस
कम्पनी लिमिटेड शाखा एल०आई०सी० आफिस
के पास सिटी सेंटर ग्वालियर।

-----बीमापॉलिसी

आवेदक द्वारा श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता

अनावेदक क्रं० 1,2 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता

अनावेदक क्रं० 3 द्वारा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 16-06-2015 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 एवं सहपठित धारा 144 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदक ने ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 06/एए 4270 के चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध उक्त दुर्घटना में मोटरसायकिल में टककर मारने से आवेदक को आयी उपहति के आधार पर 5835000/- रुपये एवं ब्याज दिलाये जाने वाबत् क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है ।

02. यह अविवादित है कि वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी006/एए4270 का चालक अनावेदक क्रमांक 1 एवं मालिक अनावेदक क्रमांक-2 है तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक-3 के यहां बीमित है ।

03. आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि मृतक अपने साथी अभिषेक के साथ ग्राम पिपाहडा से लोट कर ग्राम वधावली दतिया शादी के कार्ड देने आ रहे थे मोटरसायकिल स्टारसिटी नम्बर आर0जे0-14/एस0एल05394 को राजाबाबू चला रहे थे और वह दोनो पीछे बैठे थे । जैसे ही पीरबाबा मस्जिद के सामने आये तो मौ तरफ से ट्रेक्टर का चालक अनावेदक क्रं02 के स्वामित्व का वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी006/एए 4270 को चला कर लाया और उसकी मोटरसायकिल में टककर मारी जिससे मोटरसायकिल टूट गयी और राजाबाबू के सिर में चोट लगकर खून निकला । ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को झांकरी की तरफ भगा कर ले गया । जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में करने पर अप0क्रं0 78/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर धारा 279,337, भा0द0सं0 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया ।

04. घटना में मृतक को आयी चोटों से उसका प्रारम्भिक उपचार डॉ0 बी अर्गल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ द्वारा किया गया उसके बाद मृतक की चोटों की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये इलाज के लिये ग्वालियर रेफर किया । जिसे प्रायवेट जीप से लेकर बेहट रोड पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो घायल राजाबाबू की मृत्यु हो गयी । दिनांक 21-4-12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में एवं उसे ग्वालियर ले जाने में जीप आदि का खर्चा 10,000/- रुपये खर्च हुये । मृतक भैंस का दूध बेचकर वार्षिक आय 120,000/- रुपये तथा कृषि कार्य से 2,00,000/- रुपये, कुल 320000/- रुपये वार्षिक आय अर्जित करता था इस प्रकार वह आगामी 16 वर्ष तक की आय यानी जो वह इसी प्रकार आय अर्जित करता 320000/- वार्षिक के हिसाब से 16 वर्ष तक 51,20,000/- रुपये की आय अर्जित करता । इसके अतिरिक्त मृतक के अंतिम संस्कार, मानसिक पीडा आदि मदों को मिलाकर के 58,35,000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन किया है।

05. अनावेदक क्रमांक-1, 2 ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदक के आवेदनपत्र के शेष अभिकथनों को इन्कार करते हुये बताया है कि उनके वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुयी । उक्त वाहन को गलत रूप से घटना में लिप्त किया गया है और अनावेदक क्रमांक-1, 2 के विरुद्ध झूठा मामला बनाया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक-1,2 का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है ।

06. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने भी आवेदक के आवेदनपत्र के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिकथनों को इंनकार किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि दुर्घटना किसी अज्ञात टैक्टर के द्वारा घटित की जानी बताई गई है और घटना के एक माह पश्चात् टैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 एए 4270 के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है जो कि टैक्टर को पुलिस से साठगांठ क्लेम पाने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की स्वयं की लापरवाही से हुई है जो कि मोटरसाइकिल में तीन सवारियाँ बैठी हुई थी। प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। आवेदकगण के द्वारा मृतक की आमंदनी के संबंध में बताए गए तथ्यों को भी साफतौर से इंनकार किया है। इसके अतिरिक्त विशेष अभिकथन में उसके द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन टैक्टर अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 जो कि उसका स्वामी था की सहमति से टैक्टर को वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चलाया जा रहा था जिससे कि टैक्टर की बीमा पॉलिसी का भी उल्लंघन हुआ है। इस आधार पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी की ओर से क्लेम प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 21-4-12 को मौ गोहद रोड के पास पीरबाबा मंदिर के पास अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा अनावेदक क्रं02 के स्वामित्व के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी006/ए0ए0 4270 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टककर मारकर उपहति कारित की?	
2	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को आयी चोटों से उसकी मृत्यु कारित हुयी ?	

3	क्या मृतक भैंस का दूध बेचकर एवं कृषि कार्य करकर वार्षिक 320000/- रुपये आय अर्जित कर लेता था ?	
4	क्या घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 06/ए0ए0 4270 को मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां ? तो किस से एवं कितना कितना ?	
6	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक-1 व 2 :-

08. आवेदिका श्रीमती मंजेश आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 21.03.12 की शाम 07:45 बजे मौ गोहद रोड सलमपुरा के पास पीर बाबा मंदिर के पास मौ थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई जो कि उसके पति राजाबाबू सिंह ग्राम पिपाहडा से लौटकर ग्राम बघावली (दतिया) शादी के कार्ड देने के लिए जा रहे थे। मोटरसाइकिल उसके पति राजाबाबू चला रहा था पीछे अभिषेक और शिवम बैठे हुए थे। जैसे ही पीर बाबा मस्जिद के सामने आए टैक्टर क्रमांक एम.प. 06 ए.ए. 4270 के चालक रामराज के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के टैक्टर को तेजी और लापरवाही से चलाकर उसके पति की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे कि उनकी मोटरसाइकिल टूट गई और पति के सिर में चोट लगी थी और वह घायल हो गए थे। टैक्टर चालक टैक्टर को झांकरी की तरफ भगा ले गया। शिवम

और अभिषेक उसके घायल पति को लेकर मौ पहुँचे और थाना मौ में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था वहाँ से ग्वालियर रिफर कर दिया गया था। उनको ग्वालियर इलाज हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। फिर उन्हें बापस मौ अस्पताल लाया गया था जहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ था। थाना मौ में अपराध क्रमांक 78/12 दर्ज हुआ। आवेदिका के द्वारा आवेदनपत्र के समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्र.पी. 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 3, मार्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्र.पी. 4, नक्शा मौका प्र.पी. 5, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6, टैक्टर का जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 तथा न्यायालय में दिए गए गणेश रावत और रामबहादुर के शपथपत्र प्र.पी. 8 व 9 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 10 पेश किए गए हैं।

09. प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वभाविक रूप से इस बात को स्वीकार की है कि उसके सामने दुर्घटना घटित नहीं हुई थी। दुर्घटना के बारे में उसे जो लोग उसके पति के साथ में थे उन्होंने बताया था जो कि उसके पति के साथ मोटरसाइकिल में शिवम आदि थे। यद्यपि उक्त साक्षिया घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु उसे घटना के पश्चात् घटना के बारे में पता चला है और उसके द्वारा अपने पति को मृत अवस्था में देखा गया है, जैसा कि साक्षी के साक्ष्य कथन से स्पष्ट होता है।

10. उपरोक्त संबंध में आवेदिका के द्वारा किये गए कथन का समर्थन साक्षी शिवम अ0सा0 3 जो कि घटना के समय मृतक के साथ उसी मोटरसाइकिल में जा रहा था के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि लाल रंग के महिन्द्रा टैक्टर का चालक टैक्टर को तेजी व लापरवाही से लेकर आया और फकीर बाबा मंदिर के सामने उसके मामा की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और उसके मामा राजाबाबू घायल हो गए। पीछे से उसके पापा भी आ गए उन्होंने थाने जाने के लिए कहा था। थाने में उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। अस्पताल मौ से मामा को ग्वालियर रिफर कर दिया गया, रास्ते में ग्वालियर ले जाते समय उसके मामा की मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट के समय टैक्टर का नम्बर नहीं लिखाया था। उस समय वह टैक्टर का नम्बर नहीं देख पाया था इसलिए नहीं लिखाया था। इस संबंध में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसकी प्रति प्र.पी. 2 प्रकरण में पेश की गई है से भी स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में टैक्टर के नम्बर का उल्लेख नहीं है, केवल अज्ञात टैक्टर के चालक के द्वारा दुर्घटना कारित करने के बावत् उल्लेख आया है। निश्चित तौर से प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद यद्यपि टैक्टर के नम्बर का उल्लेख नहीं आया है, किन्तु दुर्घटना टैक्टर के द्वारा घटित होने बावत् स्पष्ट तौर से आया है। निश्चित रूप से दुर्घटना घटित होते समय यह अपेक्षा नहीं की जा

सकती है कि वह टैक्टर का नम्बर नोट करें, बल्कि दुर्घटना के समय स्वभाविक रूप से ध्यान इस ओर जाता है कि किसी व्यक्ति को चोट तो नहीं लगी और उसे उसके बचाव एवं इलाज हेतु प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी दशा में यदि दुर्घटना के समय की स्थिति को देखते हुए यदि टैक्टर का नम्बर नोट नहीं कर पाए, मात्र इस आधार पर कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती।

11. घटना दिनांक को प्रश्नाधीन टैक्टर के चालक के द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना एवं दुर्घटना में राजाबाबू की मृत्यु हो जाने की पुष्टि आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से भी होती है जो कि पुलिस थाना मौ के समक्ष घटना के आधा घण्टे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात टैक्टर चालक के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। इस संबंध में विवेचना के दौरान यह तथ्य आया गया है कि उपरोक्त दुर्घटना महिन्द्रा टैक्टर लाल रंग का जिसका क्रमांक एम.पी. 06 एए 4270 के द्वारा घटित हुई है। इस संबंध में संबंधित टैक्टर के स्वामी गनेश रावत के द्वारा पुलिस को दिए गए शपथ पत्र की सत्यप्रतिलिपि तथा चालक रामराज गुर्जर के शपथपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 8 व 9 पेश किए गए हैं। विवेचना के दौरान उक्त टैक्टर को दुर्घटना में लिप्त होना पाया जाना से महिन्द्रा टैक्टर की जप्ती, जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 के अनुसार की गई है। उपरोक्त दुर्घटना में मृतक राजाबाबू के घायल होने और प्र.पी. 3 के प्रतिवेदन तथा उसकी मृत्यु हो जाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 6 से स्पष्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 6 में उसके सिर में चोटें होने से हेमरेज के कारण उसकी मृत्यु हो जाना जो कि दुर्घटनात्मक प्रकार की मृत्यु होने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 5 से स्पष्ट होता है कि टैक्टर चालक के द्वारा रोंग साइड में जाकर दुर्घटना कारित की गई है। प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्र.पी. 1 का अभियोगपत्र अनावेदक क्रमांक 1 रामराज के विरुद्ध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. का पेश किया गया है।

12. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे कि उनके द्वारा अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि उनके वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है और दुर्घटना के संबंध में आवेदकगण के द्वारा लिए गए आधार प्रतिखण्डित नहीं होते हैं। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा इस संबंध में बीमा कम्पनी के अन्वेषण अधिकारी अरविंद गोयल अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 का कथन कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि अन्वेषण के दौरान उन्होंने यह पाया था कि टैक्टर क्रमांक एम. पी. 06 ए.ए 4270 को गलत रूप से पुलिस से मिलकर बीमा की राशि हड़पने के उद्देश्य से

लिखाया गया है। उक्त टैक्टर से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात वाहन का उल्लेख है। विवेचना अधिकारी के द्वारा गलत रूप से साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर प्रश्नाधीन वाहन को घटना में झूठा लिप्त होना बताया गया है। अन्वेषण अधिकारी के द्वारा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्र.डी. 1 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 8 एवं साक्षियों के उनके द्वारा लिए गए कथनों प्रति प्र.डी. 2 लगायत 6 पेश करना बताया है।

13. अन्वेषण अधिकारी के द्वारा जो कि बीमा कम्पनी की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर बीमा कम्पनी के लिए उनके द्वारा अन्वेषण किया गया है जैसा कि प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। मात्र उनके द्वारा अन्वेषण के दौरान कुछ लोगों से कथित रूप से की गई पूछताछ के आधार पर दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन के चालक के द्वारा दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रतिखण्डित नहीं होता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता है कि वाहन क्रमांक एम.पी. 06 एए 4270 के चालक रामराज के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक रामबाबू की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बीमा कम्पनी के द्वारा आपराधिक प्रकरण के विवेचना अधिकारी को तलब कराकर उनका परीक्षण भी नहीं कराया गया है जिससे कि इस संबंध में उनके द्वारा लिए गए आधारों की वस्तुस्थिति पता चल सके। मात्र बीमा कम्पनी की ओर से अन्वेषण अधिकारी के कथनों के आधार पर यह तथ्य कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रतिखण्डित नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन वाहन को दुर्घटना में झूठे रूप से लिप्त करने अथवा चालक को झूठे प्रकरण में फंसाया जाने बावत् कोई भी शिकायत अनावेदक पक्ष के द्वारा संबंधित पुलिस थाना में अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं की गई है। निश्चित तौर से यदि वाहन को झूठा लिप्त किया गया होता तो इस आशय की शिकायत उनके द्वारा की जाती थी।

14. इस प्रकार प्रकरण में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य जो कि उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन महिन्द्रा टैक्टर जो कि अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 06 ए.ए 4270 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी जिससे कि राजाबाबू टक्कर लगने से घायल हो गया तथा राजाबाबू की उक्त

टक्कर में आई हुई चोटों के फलस्वरूप मृत्यु हो गई। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 4—

15. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बना चलाया जा रहा था जिस कारण बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल चलाक मृतक राजाबाबू बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहा था और मोटरसाइकिल में दो व्यक्तियों को बैठाए हुए था। इस कारण भी अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति हेतु कोई दायित्व नहीं है।

16. उपरोक्त बिन्दु के संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न होना तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर वाहन चलाया जाना प्रमाणित होता हो। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से अन्वेषण अधिकारी अरविंद गोयल अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 का कथन कराया गया है, किन्तु साक्षी के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में प्रश्नाधीन वाहन बीमा कम्पनी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल जिसको कि प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा टक्कर मारी जानी बताई जा रही है उसमें तीन व्यक्तियों के बैठे होना अथवा मोटरसाइकिल चालक का ड्राइविंग लाइसेंस पेश न होने मात्र के आधार पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता और इस आधार पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी दायित्वों से नहीं बच सकती। तदनुसार वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है।

बिन्दु क्रमांक 3—

17. आवेदकगण के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक राजाबाबू दूध व्यापार करता था तथा कृषि करता था जिससे कि दूध व्यापार से दस हजार रुपए प्रति माह एवं कृषि से दो लाख रुपए वार्षिक आय अर्जित कर लेता था। इस प्रकार कुल 3,20,000/- प्रति वर्ष राशि अर्जित कर लेता था। इस बिन्दु पर आवेदक मंजेश के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि उसके पति उक्त अनुसार आमंदनी अर्जित कर लेता था तथा इस बिन्दु पर आवेदक साक्षी जयपाल साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा भी उक्त तथ्य बताया गया है।

18. जहाँ तक भैंस के पालन से दूध बेचकर मृतक राजाबाबू के द्वारा आय अर्जित

करने का प्रश्न है, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व प्रमाण पेश नहीं है जिससे कि इस बात की पुष्टि होती हो कि मृतक राजाबाबू के द्वारा कितना दूध बिक्रय किया जाता था एवं दूध बिक्रय कर कितने पैसे वह प्राप्त कर लेता था। निश्चित तौर से यदि वह दूध बिक्रय कर दस हजार रुपए मासिक अर्जित कर लेता था तो इस संबंध में दस्तावेज पेश किये जा सकते थे जिससे कि उसके आय अर्जित करने की पुष्टि हो सकती। इस बिन्दु पर मात्र आवेदिका व उसके साक्ष्य के मौखिक कथन के आधार पर कि मृतक भैंस पालकर दूध बैचता था प्रमाणित नहीं माना जा सकता। कृषि की आय का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक साक्षी गोपालसिंह के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि राजाबाबू की खेती में आज भी खेती हो रही है और उसके परिवार वाले आज भी फसल ले रहे हैं। खेती के संबंध में भी उसके पास कुल कितनी खेती थी ऐसा कोई दस्तावेज खसरा, खतौनी की नकल पेश नहीं की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मृतक राजाबाबू के द्वारा दूध बैचकर व कृषि से 3,20,000/- रुपए की आय अर्जित कर लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 5—

19. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं बादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व टैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 एए 4270 को दिनांक 21.04.2012 की शाम को 07:45 बजे मौ गोहद रोड पर सलमपुरा के पास तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर राजाबाबू की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी जिसके फलस्वरूप राजाबाबू को चोटें आई तथा उक्त चोटों के फलस्वरूप राजाबाबू की मृत्यु हो गई। उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित होना भी प्रमाणित है। ऐसी दशा में मोटर वाहन के उपयोग के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक राजाबाबू की मृत्यु होने का कारण अनावेदकगण का प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्व होगा।

20. आवेदकगण जो कि मृतक राजाबाबू की पत्नी, आवेदक क्रमांक 2 अविवाहित पुत्री व आवेदक क्रमांक 3 व 4 नावलिक संतान होने से मृतक राजाबाबू पर आश्रित थे। इस आधार पर उनके द्वारा प्रतिकर की मांग की गई है। निश्चित तौर से उक्त आवेदकगण मृतक के वारिस होने का तथ्य किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। ऐसी दशा में आवेदकगण जो कि मृतक पर आश्रित होकर उसके वारिस हैं प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

21. प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में मृतक राजाबाबू के द्वारा अर्जित आमंदनी के संबंध में पूर्ववर्ती बिन्दु क्रमांक 3 पर निकाला गया निष्कर्ष से उसके द्वारा

अर्जित बताई जा रही 3,20,000/- रुपए की वार्षिक आमंदनी प्रमाणित नहीं हुई है। यद्यपि मृतक राजाबाबू के द्वारा उक्त अनुसार आमंदनी अर्जित करनी प्रमाणित नहीं है। किन्तु निश्चित तौर से मृतक जो कि एक अधेड उम्र का व्यक्ति था वह काम आदि कर 3200/- रुपए प्रति माह आमंदनी अर्जित कर लेता था ऐसा माना जा सकता है। दुर्घटना के समय मृतक राजाबाबू की उम्र 44 वर्ष की होना आवेदनपत्र में बताई गई। मृतक की उम्र के संबंध में पृथक से कोई दस्तावेज पेश नहीं है, किन्तु आवेदिका श्रीमती मंजेश के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में मृतक राजाबाबू की मृत्यु के समय उम्र 44 वर्ष की होना बताई गई है और इस संबंध में मृतक का चिकित्सीय परीक्षण तथा शव परीक्षण भी कराया गया है। उक्त अभिलेख में भी मृतक की उम्र 44 वर्ष की होना उल्लेखित है। इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक राजाबाबू की उम्र 44 वर्ष की होना अभिधारित की जाती है। मृतक राजाबाबू पर आश्रितों की संख्या उसकी विधवा पत्नी व तीन बच्चे कुल चार आश्रित है।

22. इस प्रकार मृतक जो कि 3200/- रुपए मासिक आमंदनी अर्जित करना अभिधारित किया गया है उस पर आश्रितों की संख्या को देखते हुए उसके 1/4 भाग स्वयं के व्यय पर खर्च करता होगा जो कि 800/- रुपए होता है। इस प्रकार आश्रितों के नुकसान के मद में $3200 - 800 = 2400/-$ रुपए प्रतिमाह होगा जो कि वार्षिक $2400 \times 12 = 28,800/-$ रुपए होगा। मृतक की उम्र के हिसाब से 14 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आमंदनी के नुसाकन के मद में $28,800 \times 14 = 4,03,200/-$ (चार लाख तीन हजार दो सौ रुपए मात्र) रुपए होगा। इसके अतिरिक्त मृतक की विधवा पत्नी जीवित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **राजेश वि० राजवीर 2013 ए.सी.जे. 1403 एस.सी.** के आलोक में 1,00,000/- (एक लाख रुपए) रुपए सहचर्य की हानि के मद में उसे दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त मृतक के अंतिम संस्कार के रूप में उक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए 25,000/- रुपए आवेदकगण को दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 5,28,200/- (पांच लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ रुपए मात्र) रुपए होगी। उक्त प्रतिकर की अदायगी का दायित्व अनावेदकगण का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। उक्त प्रतिकर की राशि पर आवेदनपत्र पेश होने से बसूली तक 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तदनुसार आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 5,28,200/- (पांच लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ रुपए मात्र) रुपए एवं उस पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पाने की अधिकारी पाए जाते हैं। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 6—

23. प्रकरण में उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत क्लेम आवेदनपत्र के आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है—

1. आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 5,28,200/— प्रतिकर स्वरूप प्राप्त करने के अधिकारी है।
2. आवेदकगण उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने के अधिकारी है।
3. उपरोक्त राशि जमा होने पर आवेदिका क्रमांक 1 कुल राशि का 40 प्रतिशत भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी जो कि उसे प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 भाग की राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी राजप्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जाए जिस पर वह त्रैमासिक रूप से ब्याज स्वयं के भरण पोषण हेतु प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। शेष राशि उसे नगद भुगतान की जाए।
4. शेष राशि आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 बराबर बराबर पाने के अधिकारी होंगे जो कि अनावेदक क्रमांक 3 व 4 के नावालिग होने से उनको प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि उनके वयस्क होने तक उनकी माँ बली सरपरस्त श्रीमती मंजेश क नाम से राजप्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जाए। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाला त्रैमासिक व्याज उनकी माँ बच्चों के भरण पोषण हेतु प्राप्त करने की हकदार होगी। आवेदक क्रमांक 2 को प्राप्त होने वाल राशि का 70 प्रतिशत भाग तीन वर्ष की अवधि के लिए राजप्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जाए, शेष राशि उसे नगद भुगतान की जाए।
5. अभिभाषक शुल्क एक हजार रुपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये ।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुघर्टना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुघर्टना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड